

प्रकाशक
अ० वा० सहस्रबुद्धे,
मन्त्री, अ० भा० सर्व-सेवा-सघ,
वर्षा (म० प्र०)

तीसरी बार २०,०००
अगस्त, १९५५
मूल्य . चार आना

सुद्रक
विश्वनाथ भाग्व,
मनोहर प्रेस,
जतनवर, वनारस

प्रस्तावना

दादा के लेखों के लिए प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं है। दादा भूदान-यज्ञ की कल्पना में पूरे रूप गये हैं। ‘तुरत दान नहात्याण’ भी भावना ने वे बोलते ही नहीं। “नित्य दान पापच्छेद” ही उनसी भूमिका रहती है। वे प्रत्येक विचार कर्मादी पर चक्र रही प्रनुत भरते हैं। उनसे उनका भाषण श्रोता पर आक्रमण लेता नहीं होता, वल्कि उन प्रनन्द कर देता है।

अब जन मन में भूदान-यज्ञ की कल्पना ने जट पक्षट ली है। उम्र ने-कम बिहार में तो आज ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी लोगों में पहुँचकर जर्मान प्राप्त वर सकता है, किन्तु उन तरह, किनीजे भी पास जान जर्मान ले आने ने भूदान यज्ञ-वार्य नहीं होगा। जिन्होंने उन विचार में पुरी तरह नमम्भ लिया हो तथा वह जिन्हें पट गया हो, वे ही लोग जनता के पास पहुँचे। युनिन्युनि ने युक्त तथा सेवा की भावना ने ग्रोत्योह जर्म-वर्तांगों के निर्माण में मुक्ते ग्राशा है कि दादा की यह स्वना उत्तरणी सिद्ध होगी।

मैंने भूदान-यज्ञ को ‘धर्म-चक्र-प्रवर्तन’ नाम दिया है। परिशुद्ध विचार मी नीप पर ही ‘धर्म चक्र प्रवर्तन’ ही सकता है। परिशुद्ध विचार के हित नहीं तुली शब्द-प्रोजना भी जरूरत होती है। उन प्रभार ली शब्द देत्तना ऐसु टुकिवाले वो भए नाथ होती है। दादा भी ऐसु वृद्धि होने ने नं-हुरे विचार को प्रणाली बनाए तो उन चक्रल मात्रा नहुती है। दादा ए पेन विन्ता स नहीं अकुता का है। वन्दें ओ इन स्वना ज भी उनी स्तुता ने चिन्तन-सनन चरना चाहिए तभी उन्हें द्रष्टेद्वित लान होता।

लेखक के दो शब्द

भू-दान-यज्ञ-आदोलन कान्तिकारी आन्दोलन है। वह शोपित और दलित वर्ग का उत्साह और वीरता बढ़ानेवाला है। वह कान्ति का विरोधी नहीं है, विरोधी है रक्षात, क्रूरता और हृदय-हीनता का। भावना जितनी शुद्ध और उदात्त होगी, कान्ति के सैनिक की शक्ति भी उतनी ही अमोघ होगी।

—दादा धर्माधिकारी

विषय-सूची

१. क्रान्ति का अगला कदम —

७—४१

लोकराज्य के लक्षण ८, अमीर का दुत्ता भी चैन से जीता है ६,
 गरीबः आजाद या नुन्दी ? ११, बिलाव और पटित जी १२, गरीब की माल-
 कियत के सूत्र १४, अंकफरोशों का गोरखवधा १६, क्रान्ति के सरेतों से
 प्रभिमन्त्रित मिट्ठी १७, जमीन से आरम्भ क्यों ? १७, सभी राजियाँ, नभी
 नौकरानियाँ ! १८, दुर्घ-निवारण का नहीं, क्रान्ति का आदोलन १९, निकं-
 द्र वा रास्ता—अवैज्ञानिक और अनुपयुक्त ! २०, निजांव हाथों का हैर !
 २१, कानून की मर्यादा २२, दुनिया भर के जनतत्र का 'धन्द' प्रग्न २३,
 कानूनी प्रतिक्रान्ति २५, वर्ग-नन्दय नहीं, वर्ग-निराशरण २६, भू-धरियाँ,
 दुन्धरा माता २७, भगवान् दोल चुका है, न ओइ राजा होगा, न कोई
 मालिक २८, संपत्ति का अन्त और मानवता का रक्षण ३०, पैरूडीवाद के
 पुरुषार्थ का एकमात्र सुयोग ३०, सत्त्वाप्रदी प्रक्रिया की विशेषता ३१,
 अमीर की मानवता विभित्ति ही रही है ३२, गरीब अपने भान्य का
 विधाता कैसे बनेगा ३४, पारस्परिक उद्धार वा प्रश्नन्न मार्ग-भूदान ३५,
 भूत्य और गरीबी को बौद्ध लेने ३७, बढ़ले जे नहीं ने क्रूरता वा उद्भव
 ३८, सार्वत्रिक क्रान्ति का पाञ्चजन्य—भू-दान-यज्ञ ३९, धरा डोलने लगी
 है ४०, क्रान्ति वा नुर्ते तिर्यं ग्राज है, बल नहीं ४१।

२. जीवनदानी का जीवन-योग—

४२—४७

जीवनदान वा स्वपात मिस्लिए ? ४३, प्रतिमानव नहीं, नहीं
 आदमी ४४, क्रान्ति वी मिट्ठी, ४६, देटे हिंह जाम नहीं, नान्ति के
 हिंह प्रसाद ४६।

३. गरीबों की क्रान्ति का अर्थ—

४८—५१

वैज्ञानिक प्रक्रिया में भावना का क्या काम ? ४८, आपस में हमटदों का भाव नहीं ४६, आपस में कोई निरपेक्ष एकता नहीं ५०, यह क्रान्ति नहीं कही जा सकती ५०, शोषण की भावना का निराकरण आवश्यक ५१।

परिशिष्ट

५२—५६

गरीबों से जमीन लेने के चार कारण (विनोदा)

क्रान्ति का अगला कदम

: १ :

क्रान्ति का अगला कदम

भूदान-यज्ञ-आनंदोलन की मनशा एक वाक्य में यह है कि हम गरीब की मालकियत कायम करना चाहते हैं। आज उसकी हुक्मत कायम हो गयी है। हम चाहते हैं कि उसकी हुक्मत की मार्फत इन देश की जमीन और दौलत पर भी उसकी मालकियत कायम हो।

मवसे पहले हम गरीब आदमी की हुक्मत का मतलब समझ लें। शुरू-शुरू में दिल्ली में जब सविधान-परिषद की बैठक हो रही थी, तब कई देश-हितैर्पा मित्रों ने आग्रहपूर्वक लिखा कि और जो कुछ करना हो सो कोजिये, परन्तु किसी भी हालत में दिल्ली को स्वतन्त्र भारत की राजधानी मत होने दीजिये। उनसे पूछा, “क्यों?” तो कहने लगे—

“इन दिल्ली में आज तक किसी राजा, सम्राट् या वादशाह का राज कायम नहीं रह सका, तुम्हारा भी नहीं टिक सकेगा। यह बड़ी अभागिनी नगरी है।”

उनको जबाब दिया गया कि यह तो दिल्ली का दोष नहीं, युख है। दिल्ली दिनी राजा, सम्राट् या वादशाह की सत्ता सह नहीं नमी। वह बड़ी भान्धवती और सुलचणा नगरी है।

इसलिए उसने राजाओं की राजधानी रहना पसन्द नहीं किया। आज वही दिल्ली भारतवर्ष के लोकराज्य की 'लोकधानी' बन गयी है। राजा और राजवश पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। सल्तनतें और खानदान बनते हैं और विगड़ते हैं, लेकिन देश की जनता गगाजी की धारा और चाँद-सूरज की तरह अमर होती है। राजधानी दिल्ली इस देश की पुण्य-नगरी नहीं थी। 'लोकधानी' दिल्ली आजाद हिन्दुस्तान की अमरपुरी है। उस पवित्र नगरी में लोगों के सिंहासन की प्राणप्रतिष्ठा हुई है और उस पवित्र भूमि का प्रोक्षण हमारे राष्ट्रपिता ने परम पवित्र रक्त से किया है।

लोकराज्य के लक्षण

लोकराज्य की स्थापना का पहला परिणाम यह है कि अब इस देश में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और सदिया से लेकर द्वारिका तक किसी भी जगह कोई राजा नहीं है। पाँच-सात साल पहले किसी को कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा शुभ दिन इतनी जल्दी आयगा। आज दिल्ली के तख्त पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। उस पर अपनी मर्जी से कोई नहीं बैठता। तलवार से तख्त पर कब्जा कोई नहीं कर सकता और न कोई उसे खरीद ही सकता है। राजेन्द्र बाबू और जवाहरलालजी दिल्ली की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। इस देश के गरीब-से-नगरीब नागरिक की इजाजत और अनुमति से बैठते हैं। उनके बाद उनकी कुर्सियों पर उनका बेटा या बेटी नहीं बैठ सकते। इस देश के नागरिकों की दुवारा इजाजत लिये विना वे खुद भी नहीं बैठ सकते। लोकराज्य का यह पहला लक्षण है।

दिल्ली के सिंहासन पर राष्ट्रपति बननेवाले व्यक्ति का जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार राष्ट्रपति-भवन में

सफाई करनेवाली मेहतगर्नी का भी है। प्रधानमन्त्री वननेवाले व्यक्ति का जितना हक है, उन्होंने उनके दफ्तर को भाड़ने-चुहारनेवाले फरीश का भी है। विड़ला-टाटा-डालमिया जैसे धनकुवारों का जितना अधिकार दिल्ली के सिहासन पर है, उन्होंने वाजारों से और स्टेशनों पर बोका ढोनेवाले कुलियों का है। लोकराज्य का यह दूसरा लक्षण है।

गरीब राजा वन चुका है। हमने एक कदम उठा लिया है। अब उसे चापस नहीं लेना चाहते। दूसरा कदम उठाना चाहते हैं। जो गरीब राजा वन गया है, वह मालिक भी बनकर रहेगा।

कुछ लोग कहते हैं कि गरीब को मालिक बनाना है, तो उसकी हुक्मत लौटा लो। जनतंत्र के संदर्भ में और जनतंत्र के द्वारा आर्थिक क्रांति नहीं हो सकती। उनका मतलब यह है कि गरीब को सुन्दरी बनाना हो, तो उसकी आजादी छीन लो। यह सलाह हमको आगे नहीं ले जाती, वल्कि पीछे ले जाती है। जनतंत्र, राज्यशास्त्र का आधुनिकतम आविष्कार है। जनतंत्र से बढ़कर राजन्काज का तरीका मनुष्य अब तक नहीं खोज पाया। हम लोकराज्य को कायम रखना चाहते हैं और उसकी मार्फत लोकस्वामित्व की व्यापना करना चाहते हैं।

पर्मार का कुत्ता भी चैन से जीता है

एक प्रस्तुति है। एक अवेड़ आदमी रेल के दूसरे दर्जे में जगह न पाकर पहले दर्जे के डब्बे में बैठ गया। उस डब्बे में आजमल की पटो-लिंगी एक लड़की बैठी थी। उसका ठाट-चाट, तौरन्तरीया चिल्कुल प्रथम था। हमें लड़की की आलोचना नहीं करनी है। शहर में रहनेवालों के घर-घर में और

हमारे घरों में भी ऐसी लड़कियाँ हैं। उस लड़की की गोद में उसका लाडला कुत्ता वैठा हुआ था। लड़की जरा-जरा देर में अपने कुत्ते को कभी टॉफी खिलाती, कभी केक खिलाती और कभी विस्किट खिलाती। यह अधेड़ आदमी बड़े कुतूहल से देख रहा था। आप जानते हैं, जब आदमी का दिमाग खाली होता है तो उसमें शैतान अक्सर आ जाता है, भगवान् भूले-भटके भी वहाँ नहीं फटकते। कम-से-कम हमारा यह हाल है। उस बूढ़े का भी यही हाल हुआ। वैठे-वैठे वह सोचने लगा कि मैं इस लड़की का कुत्ता होता तो क्या होता ?

आप लोगों के दिमाग कुछ बुलंद हैं, इसलिए आप लोग ऊँची बातें सोचते हैं। कोई सोचता है, मैं स्टालिन होता तो क्या करता ? कोई सोचता है, मैं जवाहर होता तो यो करता, त्यों करता। बागवां होता तो गुलशन लुटा देता। आप लोगों के बड़े दिमाग हैं, इसलिए बड़े-बड़े हौसले हैं। यह गरीब वैठे-वैठे यही सोच रहा था कि इस लड़की का कुत्ता होता, तो क्या होता ? वेचारे का दिमाग छोटा था।

तीन फायदे तो साफ दिखाई देते थे। इस उम्र में जब कि लड़के बड़े हो जाते हैं, अपना-अपना अलग घर बना लेते हैं, सिर रखने के लिए एक लड़की की गोद का सहारा मिल जाय तो हजार नियामत है। भगवान् का बहुत बड़ा वरदान है। यह एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा यह था कि जरा-जरा सी देर में पक्वान्न और गिजाएँ खाने को मिलतीं और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता कि भूख लगने पर हँड़ी की फिराक में गली-नगली की खाक नहीं छाननी पड़ती। तीनों फायदों का बजन कुछ कम नहीं था। बूढ़े का जी चाहने लगा कि कुत्ता बन जाऊँ तो फायदे में ही रहूँगा।

इतने में ही उसके भीतर, उसके हृदय की तह में जो इन्सान बैठा हुआ था, गंभीर आवाज से पूछने लगा, “यदि भगवान् प्रसन्न होकर तेरे सामने आकर खड़े हो जायें तो क्या तू उनसे यह वरदान माँगेगा कि “प्रभो ! मुझे इस लड़की का कुत्ता बना दो ?” जब भीतर से दूसरी आवाज अधिक निश्चित और अधिक गंभीर निकली कि “इस लड़की का कुत्ता बनकर इस तरह सुखन्वेन से गिजाएँ खाने के बनिन्वत आजाद और गरीब मनुष्य रहना कही अच्छा है ।”

गरीब : आजाद या सुखी ?

जो लोग आजादी से आराम को ज्यादा पसन्द करते हैं, सुखन्वता से सुख का मूल्य अधिक मानते हैं, वे न आराम ही पाते हैं, न आजाद ही रह सकते हैं । वे स्वतन्त्रता से हाथ धो बैठते हैं और सुख को भी खो देते हैं । हम गरीब आदमी के सुख और आराम के लिए उसकी आजादी की कीमत नहीं देना चाहते । मुट्ठी भर सत्ताधारी पालक और अभिभावकों के हाथ में उसकी जिन्दगी और इज्जत नहीं सौंप देना चाहते । हम गरीबों को उनके अधिकारों के टेकेदारों का सुखी कैदी नहीं बनाना चाहते । इसलिए हम कहते हैं कि गरीब आदमी की मालकियत गरीब आदमी के राज की मार्फत कायम होगी ।

पूछा जाता है कि मुट्ठी भर आदमी अगर अपने हाथ में सत्ता लेकर गरीब के सुख-चैन का टेका ले ले, तो व्या हर्ज है ? जो लोग यह सवाल पूछते हैं, वे भूल जाते हैं कि धन का नशा अगर होता है, तो सत्ता का भी नशा उनकी अपेक्षा किनी फटर फम नहीं होता । जिनके हाथ में दौलत और नंपत्ति होती है, वे जिस कदर उन्मत्त हो जाते हैं, उसी तरह अद्वायित और निरंकुश सत्ता जिनके हाथ में होती है, वे भी उन्मत्त हो जाते

हैं। हर शहर के धनाढ्य सेठ, साहूकार, जर्मांदार और सरमायादार जिस तरह अपने घमड में चूर रहते हैं, उसी तरह मामूली पुलिस का सिपाही और छोटे-छोटे सरकारी अहलकार भी अपनी अकड़ दिखाये विना नहीं रहते। धन का नशा अगर आदमी का मिजाज आसमान में चढ़ा देता है, तो सत्ता का कैफ (नशा) भी उसे अपने आपे में नहीं रहने देता। इसलिए हम लोकराज्य के द्वारा आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं।

बिलाव और पडितजी

गरीब की हुक्मत के लक्षण अब हमारी समझ में आ गये। अब यह देखना है कि गरीब की मालकियत किसे कहते हैं और उससे कौन से नतीजे निकलते हैं।

बकिम बाबू की 'कमलाकान्तेर दफ्तर' नाम की एक बड़े मजे की किताब है। 'चौवे का चिट्ठा' नाम से उसका हिन्दी में अनुवाद भी निकला है। उस किताब में एक किस्सा है। किसी गाँव में एक ब्राह्मण देवता एक ग्वालिन के पडोस में रहते थे। भोजन-प्रिय तो थे ही, भोजन का निमन्त्रण स्वीकार करना उनका पेशा था। आयेदिन ग्वालिन उनको निमन्त्रित किया करती थी। एक बार श्राद्ध के दिन ब्राह्मण-देवता का नेवता हुआ। दक्षिण मिलनेवाली थी। इसलिए ब्राह्मण देवता ने बड़ी ईमानदारी से और लगन से भोजन किया। कोई कसर नहीं रखी। आकंठ भोजन पाया। दक्षिण लेकर ब्राह्मण पान चबाते हुए ज्योंही रवाना होने लगे, ग्वालिन बोली—

“महाराजजी, एक खोवे का गोला आपके नाम का मेरे घर रह गया है। इसे भी लेते जाइये, नहीं तो मुझे पाप लगेगा।” पडितजी खोवे का गोला लेकर घर पहुँचे। खोवा बड़ी हिफाजत

से छींके पर रख दिया। किंवा हुआ योजन पचाने के लिए कुछ कड़ी-सी माजूत बनाकर खा ली। हल्का-सा नशा हुआ। उस नशे में घंटे सोचने लगे कि कल इस खोबे का क्या बने? जिस तरह सरकार की और दूसरी राजनीतिक पार्टियों की पंचवार्षिक, छिवार्षिक योजनाएँ बनती हैं, उसी तरह ब्राह्मण देवता की भी एकदिनात्मक, चौर्वास घंटे की योजना बनने लगी। सोचने लगे कि कल इस खोबे का लड्डू बने या भोढ़क? इतने में कहीं से एक विलाव आया, और उस खोबे के गोले की तरफ लपका। पंडितजी बोले—

“अरे, तू बड़ा चोर है, लुटेरा है। दिनदहाड़े मेरे सामने से मेरा खोबा ले जाने के लिए आया है?”

नशे की करामात ऐसी कि विलाव भी बोलने लगा।

विलाव ने गिड़गिड़ाकर कहा, “महाराज, आप उन्टी बातें कह रहे हैं। आपके पेट में गले तक अन्न भरा हुआ है। तिल रखने को भी जगह नहीं है। आप तो इस खोबे के हकड़ार हुए। मेरे पेट में तीन दिन से भूख की आग धधक रही है, अन्न का एक कण भी नहीं है। मेरा इस खोबे पर कोई अधिकार नहीं, यह कैसा न्याय है? यह सीधी नीति नहीं, उन्टी नीति है!”

पंडितजी सुनकर बोले, “कमवल्त. तू तो मुझे ज्ञान सिखाने लगा. तू नास्तिक है। तू बोल्शेविक हो गया है. तू कन्यूनिस्ट हो गया है। धर्म के खिलाफ बात करता है, नीति और कानून के खिलाफ बात करता है।”

विलाव कुछ दृढ़ता के साथ बोला, “ब्राह्मण देवता, जो धर्म, जो नीति और जो कानून अन्न पर भूखों का अधिकार बतलाने के बदले, उसका अधिकार बतलाता है, जिसका पेट ठसाठन भरा

हो, वह धर्म, धर्म नहीं है, वह नीति, नीति नहीं है, वह कानून, कानून नहीं है।”

अब तो पडितजी और भी झ़ाकर बोले, “वच्चू, तुम सीधी तरह नहीं मानोगे ? ठहरो, तुम पर अदालत में नालिश करता हूँ। सविधान ने मुझे कुछ मूलभूत अधिकार दिये हैं। उनका आधार लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जाता हूँ।”

बिलाव गभीरता से बोला, “मुझे मजूर है। आप जखर मुकदमा चलाइये। लेकिन मेरी एक गुजारिश है। दो शर्तें मैं रखना चाहता हूँ। पहली शर्त यह है कि नालिश दायर करने के पहले आप खुद सात दिन का उपवास कीजिये। इन सात दिनों में अगर आपने पडोस की ग्वालिन के यहाँ से दूध चुराकर नहीं पिया तो मुझे आपकी फरियाद कबूल है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि जिस हाकिम के इजलास में मेरा मामला चले, वह न्यायाधीश सात दिन का उपवास करे। इन सात दिनों के अन्दर अगर उसने अपनी मेम साहब की पेस्ट्री-शेल्फ (अलमारी) में से विस्किट चुराकर नहीं खाये तो उस अदालत का फैसला भी मुझे मजूर होगा।”

अब पडितजी क्या जवाब देते ? मुँह में ताला पड़ गया। काटो तो खून नहीं। इसके बाद दो ही सूरतें हो सकती थीं। पंडितजी में हिम्मत होती तो ढंडा मारकर बिलाव को भगा देते और बिलाव में दम होता तो खोवे का गोला जबरदस्ती से छीनकर ले जाता। दोनों हालतों में मामला तय हो जाता, लेकिन समस्या हल नहीं होती।

गरीब की मालकियत के सूत्र

हम झ़ाड़ा निपटाना नहीं चाहते, झ़ाड़ा टालना भी नहीं

में किसी तरह का उत्पादक परिश्रम नहीं करना चाहता, वह कारखाने का मालिक है। यह अंधेरनगरी है। सवाल यह नहीं है कि किसके पास कितनी जमीन हो। यह बाद का सवाल है। बुनियादी सवाल यह है कि जो जमीन नहीं जोतता और जोतना नहीं चाहता, उसके पास एक चप्पा भर जमीन भी क्यों हो ? और जो जमीन जोतता है, और जोतना चाहता है, उसका कब्जा जमीन पर क्यों न हो ?

अंक-फ्रेशों का गोरख-धधा

बहुत से लोग आँकड़ों और रकमों के चक्कर में फँस जाते हैं। यह आदोलन अंक-फ्रेशों का आंदोलन नहीं है। मुश्शी, मुहरिं और हिसाब-नवीस क्रान्ति नहीं करते। वे तो आँकड़ों के गोरख-धधों में बुरी तरह खो जाते हैं। जमीन कितनी है, आदमी कितने हैं, जमीन जोड़ो, आदमी जोड़ो, जमीन और आदमी का गुणा करो, आदमी और जमीन का भाग करो, इसमें उनकी सारी अकल खत्म हो जाती है। एक बड़े मुरच्ची मुनीम का किसा मशहूर है। मुनीमगिरी में उम्र वीत गयी। लड़के की शादी का मुहूर्त नजदीक आया। उसके बाद फिर दो साल तक मुहूर्त नहीं था, बहुत खोज करने पर भी वीस साल की लड़की कहीं नहीं मिली। मुनीमजी ने दस-दस साल की दो लड़कियों से अपने बेटे की शादी ठीक कर ली। गणित कर लिया। लड़की से लड़की कट गयी, दस और दस वीस ! दस और दस साल की लड़की को जोड़ने से वीस साल की लड़की नहीं बनती। लड़की से लड़की कट जाती है। हिसाब-नवीस हिसाब में लगे रहते हैं। आदमी से आदमी कट जाता है।

क्रान्ति के संकेतों से अभिमंत्रित मिट्टी

क्रान्ति में अंकगणित का नहीं, वीजगणित का हिसाब होता है। अंकगणित में अंक और संख्या होती है। आँकड़ों का वजन और कीमत नपी-चुली होती है, इनी-गिरी होती है। वीजगणित में संकेत होते हैं, चिह्न होते हैं, निशान होते हैं। इन संकेतों का मूल्य और उनकी प्रतिष्ठा अपरिमित होती है। उनके वजन की और कीमत की कोई हद नहीं होती। गांधीजी ने एक चुटकी भर नमक की पुड़िया बनाकर बेची। हिसाब-नवीस हिसाब लगाने वेंठे कि इस रस्तार से समुद्र कितने दिन में सूखेगे और नमक के भरण्डार कितने दिन में भरेंगे। इधर इनका हिसाब चला और उधर अंग्रेजों का आसन ढोलने लगा। क्रांति की प्रक्रिया में संकेतों का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। यह जो मुट्ठी-मुट्ठी मिट्टी भू-ज्ञान-यज्ञ के स्पष्ट में इकट्ठी हो रही है, वह क्रांति के संकेतों से अभिमंत्रित है।

हम अनुत्पादकों की मालकियत का निराकरण करना चाहते हैं। उत्पादकों की मालकियत कायम करना चाहते हैं। उत्पादकों की मालकियत का मूलभूत सूत्र है : उत्पादन के साधन उत्पादक के हाथ में होंगे।

जमीन से आरंभ क्यों ?

हम आरम्भ जमीन से करते हैं। इसके कारण स्पष्ट ही है। सबसे पहला कारण यह है कि हमारी मध्यसे बड़ी समस्या भूरंग है। भूरंग का जवाब अब है और अब उपजाने का ज्ञाधन जमीन है। इन्हिएं जो जोतता हैं, उसके हाथ में जमीन होनी चाहिए। जो जमीन नहीं जोतता, उसे एक चर्पा भर भी जमीन रखने का अधिकार नहीं है। दूसरा कारण यह है कि हमारे

देश के अठहत्तर फीसदी से अधिक लोग जमीन के भरोसे जीते हैं। इसलिए इस देश में क्रांति की विभूति, जमीन जोतने-बाला किसान होगा। तीसरा कारण यह है कि उत्पादन के सारे साधनों का मूलभूत साधन, अखंड भण्डार यह वसुमति है, यह धरती है। कोयला, लोहा, तेल, लकड़ी आदि उत्पादन की सारी सामग्री इसीमें से निकलती है। इसलिए उत्पादक की माल-कियत का आरम्भ हम जमीन से करते हैं।

उत्पादक की मालकियत जिस अवस्था में कायम होगी उस अवस्था में अनुत्पादक कोई नहीं रहेगा। कुछ लोग यह आन्दोप करते हैं कि अगर आप किसानों को जमीन दे देंगे तो उत्पादन घट जायगा। वे सब अलाल हो जायेंगे। जो लोग यह आन्दोप करते हैं, उनके सामने समाज का पूरा चित्र नहीं है।

सभी रानियाँ, सभी नौकरानियाँ !

एक घर में पाँच लियों थीं। एक दिन उन्होंने अपनी 'सविधान परिषद' की ओर यह प्रस्ताव मजूर किया कि आज से हम पाँचों रानियों हैं। बजट भी पास कर लिया गया। चाँदी के पाँच मूले बने, उनमें जरतारी लड़ीदार रस्सियों लगायी गयीं। हरएक रानी बन-ठनकर बड़े मिजाज के साथ एक-एक मूले पर बैठ गयीं। पहला सवाल यह रहा कि मूला कौन मुलाये, क्योंकि पाँचों रानियाँ थीं। मूला मुलाना उनकी शान के खिलाफ था। लेकिन पाँचों बड़ी व्यवहारकुशल थीं। जब किसी प्रश्न के सवध में अक्ल काम नहीं करती, तो सरकार और सत्ताधारी पार्टी कहती है कि इस समस्या को छोड़ दो। ऐसे मौके पर सरकार-विरोधी दल भी बड़ी सिफत के साथ कहता है, "जब जागतिक परिस्थिति बदलेगी, तब यह समस्या हल होगी।"

मैंजे हुए राजनीतिज्ञों की तरह इन रानियों ने तय किया कि इस सवाल को छोड़ दो। हवा चलेगी तो अपने आप भूले भूलेंगे। एक सवाल तो निपट गया। फिर दोपहर के बारह बजे। भूख लगी, प्यास लगी। यह सवाल तो छोड़ा नहीं जा सकता था। तब होश ठिकाने आये। दूसरा प्रस्ताव हुआ कि हम सब एक-दूसरी को पानी पिलायेंगी, खाना खिलायेंगी, मूला मुलायेंगी। नतीजा यह हुआ कि उस मकान में जो रानियाँ थीं, वे ही नौकरानियाँ हो गयीं, जो नौकरानियाँ थीं वे ही रानियाँ हो गयीं। जितनी रानियाँ थीं, उतनी ही नौकरानियाँ हो गयीं। जितनी नौकरानियाँ थीं, उतनी सब रानियाँ हो गयीं। सभी रानियाँ हो गयीं, सभी नौकरानियाँ हो गयीं।

इसका नाम है—वर्गहीन समाज। जो मेहनत करेंगे वे मालिक होंगे। जो मालिक होंगे वे सब मेहनत करेंगे। सभी मालिक होंगे, सब मेहनती होंगे। वर्गहीन समाज से मतलब है—उत्पादकों का समाज।

उत्पादकों की मालकियत के तीन सूत्र हमारे हाथ आये : १. जरूरत की चीज जरूरतमन्द को मिलनी चाहिए। इसीका मतलब यह हुआ कि उत्पादन जरूरत के लिए होना चाहिए, न कि मुनाफे के लिए ; २. उत्पादन के साधन उत्पादक के हाथ में होने चाहिए ; ३. समाज में कोई व्यक्ति अनुत्पादक न रहे याने मालिक और मजदूर का भेद कहीं भी न रह सके।

एमा-निवारण का नहीं, कान्ति का आन्दोलन

एमारा आन्दोलन कष्ट-निवारण और हुम-निवारण का आन्दोलन नहीं है। केवल भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा और खानावदोश को मकान देना ही हमारा ध्येय नहीं है। हम गरीब

को मोहताज नहीं बनाना चाहते। उसे उपयोग की चीज देकर भिखारी नहीं बनाना चाहते। उत्पादन का साधन उसके हाथ में देकर उसे मालिक बनाना चाहते हैं। जमीन उपयोग की वस्तु नहीं है। जमीन उत्पादन का साधन है, इसलिए वह जोतनेवाले के हाथ में रहेगी।

अब आपको यह पता चल गया होगा कि भू-दान-यज्ञ-आन्दोलन जमीन के बैटवारे का आन्दोलन है, उत्पादन के साधनों के वितरण का आन्दोलन है। यह परम्परागत दान-धर्म का आन्दोलन नहीं है। आर्थिक क्रान्ति की नींव ढालने का आन्दोलन है।

इसके बाद सवाल यह होता है कि हम अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए किन उपायों से काम लें। यह क्राति की प्रक्रिया या क्राति के मार्ग का प्रश्न है। आज तक दुनिया के सामने तीन रास्ते आये हैं। दो परम्परागत और पुराने, तीसरा नया अर्थात् क्रांति के साधन में ही क्रांति करनेवाला।

सिकदर का रास्ता—अवैज्ञानिक और अनुपयुक्त !

पहला रास्ता सशस्त्र क्रांति का रास्ता कहलाता है। यह छीना-भपटी का, जोर-जबरदस्ती का, हठमर्दी का रास्ता है। किसामशहूर है। एक रूमाल में ऐसी पक्की गाँठ लग गयी कि किसी से नहीं खुलती थी। सयानों ने सलाह दी कि सिकन्दर को बुलाया जाय। उसने सारी दुनिया फतह कर ली है, जरूर कोई हिक्मत निकालेगा। सिकन्दर आया। उसने सिवा तलवार के कुछ नहीं सीखा था। तुरन्त तलवार उठाकर खट से गाँठ काट दी। रूमालवाला रोने लगा। कहने लगा, “हम तो गाँठ खुलवाना चाहते थे जिससे रूमाल साबित रहे, थे तीसमारवाँ ऐसे आये कि गाँठ खोलने के लिए रूमाल ही काट दिया।”

आश्चर्य है कि बड़े-बड़े अक्लमन्द लोग इसे क्रांति का तरीका कहते हैं। उनसे कहिये कि हम मनुष्यों के दिमाग बदलना चाहते हैं तो वे कहते हैं कि सिर ही काट लो, जिससे दिमाग ही न रहे, भंगट ही मिट जायगी। हम गरीबी और अमीरी को खत्म करना चाहते हैं—गरीब और अमीर को वरावरी के नाते साथ-साथ जिलाने के लिए; परन्तु गुर्त्या काटने का वह तरीका इन्सानियत की जड़ ही काट देता है। यह विपर्म-मार्ग है, उल्टा रास्ता है। हम कर्मीर जाना चाहें तो वह हमें कन्याकुमारी पहुँचाता है। हमारे कान का यह रास्ता नहीं है। यह न तो वैज्ञानिक है, न समझदारी का ही।

निर्जिवि हाथों का ढेर !

दृसरा रास्ता शासन और कानून का है। परन्तु जब तक जन-तंत्र में जड़ संस्था का महत्त्व है, तब तक कानून की भार्फत क्रांति नहीं हो सकती। एक दफा एक सिपाही ने दो हजार हाथ काटकर अपने सेनापति के सामने उनका ढेर लगा दिया।

सेनापति वहुन खुश हुआ। बोला, “दरअ्रमल तू बड़ा वहां-दुर सिपाही है। दुश्मनों के दो हजार हाथ काटकर लाया। मगर क्या ही प्रन्द्वा होता अगर तू इसके बदले एक हजार सिर काट-कर लाता। तब हमें पता चलता कि दुश्मनों में से कौन-कौन नारे गये।”

सिपाही अद्वा के साथ बोला। “हुजूर, मैं तो सिर ही काटकर लानेवाला था, लेकिन मजबूर हुआ। सिर पहले ही कोई काट-कर ले गया था। इसलिए मैं हाथ काटकर लाया हूँ।”

इसका नाम है पार्लीमेंटरी पढ़ति। सारी ताकत और सारी घरेल हाथ जुटाने ने और हाथों का ढेर लगाने में खर्च होनी

है। एक कहता है, मेरे डेरे मे सौ हाथ हैं, दूसरा कहता है, मेरे डेरे मे पचहत्तर हैं। सौवाला जीता, पचहत्तरवाला हारा। सिर्फ हाथों का हिसाब है। दिल और दिमाग से किसी का कोई सरोकार नहीं। इसे सख्त्या का जनतत्र कहते हैं। यही आकारात्मक (Quantitative) जनतत्र कहलाता है। जब हम कहते हैं कि हमारी मोटर में वीस घोड़ों की ताकत है, तब हमारे सामने घोड़ा नाम का जानवर नहीं होता। ‘हार्स-पावर’ में घोड़ा, ताकत की महज एक इकाई है। शक्ति का सिर्फ एक नाप है। ‘पावर-पालिटिक्स’ में, सत्तावादी राजनीति में, मनुष्य भी ‘मैन पावर’ की एक इकाई, केवल नाप बन जाता है। सख्त्या के और आकार के जनतत्र मे मानवीय गुणों का स्थान बहुत गौण रहता है। इसलिए सख्त्यात्मक और आकारात्मक जनतत्र क्राति का साधन नहीं बन सकता। वह औपचारिक, निर्जीव और नि सत्त्व जनतत्र होता है। जनतत्र में क्रांति की शक्ति पैदा करने के लिए गुणात्मक जनतत्र की स्थापना करनी होगी। गुणात्मक जनतन्त्र की प्राण-प्रतिष्ठा करनी होगी। तब कहीं जनतत्र में सजीवता और वास्तविकता आवेगी। गुणात्मक जनतन्त्र की स्थापना के लिए लोकजीवन मे मानवीय मूल्यों का बीजारोपण करना होता है। मानवोचित गुणों का बीजारोपण कोई कानून नहीं कर सकता।

कानून की मर्यादा

कानून हमको गैरकानूनी आचरण से रोक सकता है, लेकिन ऐसे अनाचार से नहीं रोक सकता जो कानून के दायरे में न आता हो। चार सौ बीस धारा के अनुसार विश्वासघात कर्हूं तो न्यायाधीश मुझे सजा दे सकता है, लेकिन यूँ ही लोगों को चकमा देता रहूँ तो कानून मुझे दरड़ नहीं दे सकता। विधायक

शक्ति तो कानून में होती ही नहीं, वहुत हुआ तो वह बुराई करने से रोक सकता है। भलाई की प्रेरणा कानून नहीं पैदा कर सकता।

एक बात और। कानून मनुष्य को अधिकार देता है, लेकिन उसे अधिकार के उपयोग की शक्ति नहीं देता। कानून मनुष्य को वहुत हुआ तो माँका देता है, लेकिन माँके से फायदा उठाने की ताकत नहीं पैदा कर सकता। कानून घोड़े को पानी दिखा मकता है, पिला नहीं सकता।

कुछ उदाहरण लीजिये। हमारे संविधान के मुताबिक इस देश की हरएक स्त्री को उतना ही अधिकार है, जितना कि विजयालक्ष्मीजी, राजकुमारीजी और सुचेता कृपालानीजी को है, यही मरोजिनीदेवी को था। लेकिन प्रत्यक्ष में हम क्या देखते हैं कि इस देश की गृहदेवियाँ मकान की चहारठीबारी से बाहर नहीं निकल सकतीं और रास्ते में धूंधट काढ़े या बुरका ओढ़े निकलती हैं। कानून ने अधिकार दे दिया, लेकिन ताकत नहीं दी। यही हाल प्रबूतों का है। अस्पृश्यता-निवारण कागज पर हो गया, लेकिन जीवन में अस्पृश्यता मौजूद है। कानून से शराबवन्दी हो गयी, लेकिन व्यवहार में शराबखोरी जारी है। मतलब यह कि जनतन्त्र की मार्फत क्रांति के लिए कानून जरूरी है, लेकिन कानून के लिए एक सामाजिक संदर्भ और अधिष्ठान की जस्तर होती है।

दुनिया भर के जनतन्त्र का 'यज्ञ' प्रश्न

कानून अपनी टोगों पर खड़ा नहीं हो सकता। जिन दोनों में हम लोग अक्सर पतली ढाल और खीर खाते हैं, उन दोनों से कानून की उपमा दी जा सकती है। दोनों को धामने के लिए किसी चीज का सहारा देना पड़ता है, नहीं तो वह लुढ़कता है।

कानून का यही हाल होता है। पूँजीवादी सदर्भ में उसे थैली का सहारा लगाया जाता है और जवरदस्ती की प्रक्रिया में वह लाठी का अनुचर बन जाता है। पुराने श्रीस और रोम के नागरिकों को लोकराज्यों में इसका बहुत कटु अनुभव हुआ। लोगों के बोट कभी खरीद लिये जाते थे और कभी डरा-धमका-कर हडप लिये जाते थे। आज हम देखते हैं कि लोगों की आकांक्षा और आवश्यकता के पीछे उनका बोट नहीं चलता। वे कभी बोट लोभ से देते हैं, या कभी भय से। बोटों की चोर-बाजारी या लूटमार से जिस जनतन्त्र का आरम्भ होता है, उसका स्रोत ही जहरीला बन जाता है। आज दुनिया भर के जनतन्त्र का यह 'यन्त्र' प्रश्न है।

उम्मीदवार को जब किसी-न-किसी तरह चुनाव में जीतने की ही धुन होती है, तब उस पर बोट बटोरने का खब्त सबार हो जाता है। जो बोट मौंगने जाता है वह मतों का याचक बन जाता है। जो मतों का याचक बन जाता है, वह लोकमत का निर्माण और परिवर्तन नहीं कर सकता। जिस जनतन्त्र में मतों के संग्रह पर, 'कन्वैसिंग' पर ही दारोमदार है, उससे मत-परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए कानून का रास्ता अनुकूल होते हुए भी पर्याप्त नहीं है।

कानून के मार्ग में एक दोप और भी है। उससे कानूनबाजी का सिलसिला जारी हो जाता है। दो होशियार बकील अडोस-पडोस में रहते थे। दोनों के मकान के बीच में दोनों के लिए एक सामान्य दीवार थी। एक दिन वह दीवार ढह गयी। दीवार का इमला, जिस बकील की दीवार थी उसके मकान में न गिरकर पड़ोसी बकील के मकान में गिरा। इमले का मालिक बकील चाहता था कि वगैर खर्च के इमला अपने मकान में आ

जाय। तीन रोज के बाद पड़ोसी वकील को उसने नोटिस दिया : “तीन रोज से हमारा इमला आपके अहाते में पड़ा है, फौरन लौटा दीजिए, नहीं तो चोरी का मामला चलाऊँगा।” पड़ोसी वकील कम तेज नहीं थे। उन्होंने उल्टा नोटिस दिया, “तीन रोज से इमला हमारी जगह मे पड़ा है, फौरन किराया भेजिए, नहीं तो नालिश करनी होगी।”

कानूनी प्रतिक्रान्ति

सभी लोग कहते हैं कि कानून बना लीजिये। लेकिन कानून बनने पर उसे रद्द करने के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यायालय की शरण लेते हैं। वरसो मामला चलता रहता है। कभी कानून स्थगित कर दिया जाता है, कभी अनविकृत करार दिया जाता है। अगर मर्वोंच न्यायालय ने भी कानून को वैध करार दिया, तो फिर विधान-सभा के सदस्यों के बोट जुटाने का प्रयत्न किया जाता है और विधान-सभा की मार्फत कानून में संशोधन कराने के प्रयास मे कालापहरण होता है। जो लोग कानून बनाने की बात कहते हैं, उनके मन में अक्सर आज की मुसीबत कल-परसों तक टालने की वृत्ति होती है। कुछ लोगों के दिल में यह भावना भी द्विपी होती है कि कानून के ज्ञेत्र में हमें भी अपने हथोड़े चलाने का मौका मिलेगा। पारिभाषिक शब्दों में इसे हम कानून के ज्ञेत्र मे प्रतिक्रांति कह सकते हैं। इस प्रतिक्रांति का मुकाबला करने मे ही समय खराब होता है।

इसके अलावा एक बुनियादी कठिनाई है। कानून दो प्रतिवादियों को मिलाने के बदले उनमें विछोह पैदा करता है। जिनके सिलाफ कानून होता है, उसका दिल खट्टा हो जाता है। वह या तो दब जाता है या चिढ़ जाता है। जिसके हक मे कानून होता है, वह फूला नहीं समाता। वह या तो उद्धंड हो

जाता है या उच्छृंखल। मालगुजारी या जमींदारी रह कराने-वाले कानून के बारे में हमारा यह अनुभव है। गरीबी और अमीरी खत्म करने में हमारी मनशा, मनुष्य और मनुष्य के वीच का फासला खत्म कर देने की है। लेकिन कानून से यह उद्देश्य सफल नहीं होता। इसलिए भूदान-यज्ञ की प्रक्रिया का आधार मनुष्य का मत-परिवर्तन और धृति-परिवर्तन है, न कि केवल वस्तु-परिवर्तन।

वर्ग-समन्वय नहीं, वर्ग-निराकरण

इस वर्ग-निराकरण चाहते हैं, वर्ग-समन्वय वर्ग-समन्वय एक अपसिद्धांत है। अँधेरे और जस्य कैसे हो सकता है? अमीरी-गरीबी का मुमकिन होगा? अमीरी की शर्त है कि अमीर की अमीरी जितनी बढ़ेगी, गरीब बढ़ती चली जायगी। वर्ग-समन्वय अस वर्ग-निराकरण के साथ व्यक्तियों का सम है। अमीरी और गरीबी को खत्म करने गरीब दोनों का सहयोग चाहते हैं। इससे और मानवता का विकास होगा। भूदान प्रक्रिया है, जिससे वर्ग-कलह के विना

अमोघ प्रक्रिया का आविष्कार किया है। भू-दान-न्यूज के नाम से यही प्रक्रिया पहचानी जाती है। शब्द पुराने हैं, लेकिन उनका अर्थ क्रांतिकारी भावनाओं से और क्रांतिकारी संभावनाओं से परिपूर्ण है।

भूः धरित्री, वसुन्धरा, माता

बहुत लोगों का ख्याल है कि 'भू' शब्द का अर्थ तो सब जानते ही हैं। दरअसल वात ऐसी नहीं है। 'भू' शब्द का अर्थ महज 'जमीन' नहीं है। 'भू' सिर्फ मिट्टी का ढेला नहीं है। 'भू' शब्द में मनुष्य की अनन्त सांगृतिक, आर्थिक और राजनीतिक भावनाएँ संनिहित हैं। यह भूगोल मनुष्य का निवासस्थान है। मनुष्येतर प्राणियों के साथ और प्रकृति के साथ महजीयन का प्रयोग करने की उसकी प्रयोगभूमि है और अपने तथा दूसरे के जीवन-निर्वाह की सामग्री संपादन करने का मूलभूत साधन है। यह पृथ्वी हमारी धरित्री भी है, वसुन्धरा भी है और माता भी है। प्रभुत्ववादी मनुष्य ने इसे अपनी भोगदासी बनाना चाहा। वे नरपति और भूपति वनने में अपने आपको धन्य समझते लगे। भगवान् की कृपा से और विधाता की नियति से आज भारतवर्ष की पुण्य-भूमि में नरपति कोई नहीं रह गया है। अगला कदम यह है कि भूपति भी कोई नहीं रहेगा। आज तक जो गजा होता था, वही लोगों का खासी और जमीन तथा ढाँकत का मालिक होता था। आज हमारे देश का मिहासन भारतवर्ष के लोकाध्यन, चक्रवर्ती दरिद्रनारायण का है। इनलिए इस देश का धन और धरती भी अब यिनी व्यक्ति की नहीं रहेगी। उन पर चक्रवर्ती दरिद्रनारायण का अधिकार रहेगा।

पुराणे ने इनने पढ़ा है कि जब धरतीमाता तंग आ जाती

है, सत्प्र और सत्सन हो जाती है तो गाय का रूप लेकर भगवान् के चरणों में जाती है और अपनी शिकायत उनको सुनाती है। आज धरतीमाता अग्निल विश्व के पालनकर्ता भगवान् के चरणों में अपनी शिकायत रख रही है।

भगवान् पूछते हैं—

“तुम्हें कौन पीड़ा पहुँचा रहा है ?”

धरती कराहकर कहती है, “प्रभो, मैं इन मालिकों से तग आ गयी हूँ।”

भगवान् आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, “मालिक ! मृत्यु-लोक में तो सब तेरी सतान ही हैं, ये मालिक कहाँ से आ गये ?”

पृथ्वी लज्जित होकर कहती है, “क्या कहूँ भगवन्, मैं मेरे पुत्र कहलाते हैं, लेकिन पति बनना चाहते हैं। वेटे कहलाते हैं, लेकिन मालिक बनने का दम भरते हैं। ऐसे अधम हैं।”

भगवान् बोल चुका है, न कोई राजा होगा, न कोई मालिक

धरतीमाता के अन्तस्तल से निकलनेवाली गुहार, उसकी मिट्टी के जर्रे-जर्रे में से उठनेवाली यह हूँक, भगवान् के हृदय में गूँजने लगी है। इस देश का सारा आसमान और वायुमण्डल भूमाता की इस आकाश से प्रतिष्ठनित होने लगा है। भगवान् बोल चुके हैं कि जिस तरह इस देश में अब कोई राजा नहीं रह गया है, उसी तरह कोई मालिक भी नहीं रहेगा। यह विधाता का विधान है। इसमें फर्क नहीं पड़नेवाला है।

सवाल यह हो सकता है कि जब विधाता के विधान से और इतिहास की नियति से यह होने ही वाला है, तो भू-दान-यज्ञ की इस भूमट का क्या प्रयोजन ? जवाब यह है कि जो क्रांति साधा-

रण मनुष्य के विधायक पुरुषार्थ से होती है, जसीमें मानवीय मूल्यों की प्राणप्रतिष्ठा करने की सामर्थ्य होती है, केवल प्रति-कारात्मक शक्ति में अभावरूप पुरुषार्थ होता है। उसमें निष्पत्तासक प्रेरणा होती है। लोकब्यापी विधायक पुरुषार्थ के आन्दोलन के बिना जनता के लिए और जनता के द्वारा जनता की कार्ति नहीं हो सकती। दान और यज्ञ की प्रक्रिया अर्मीर और गरीब दोनों को विधायक पुरुषार्थ के लिए अवसर देती है और उनका आवाहन करती है।

अर्मीर का दान परियह के प्रायश्चित्त के लिए और सम्पत्ति के विमर्जन के लिए तथा मुनाफे की प्रेरणा के निराकरण के लिए है। परियह या सम्पत्ति जुटाना चोरी है, पाप है। यह दान समर्पण के सरक्षण के लिए नहीं है। व्यक्तिगत पुण्य कमाने के लिए, या परलोक में सद्दृगति प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह दान सम्पत्ति के उत्सर्ग के लिए है, सग्रह के समर्पण के लिए है। यह दान एक प्रसग नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक सिलसिला है। अर्मीरों से चिनोंचा कहते हैं कि अपनी जमीन का छठा हिस्सा आज सुझे दे दो। इसका मतलब यह नहीं कि पाँच हिस्से अपने पास रखकर चैन की बंसी बजाते रहो। वे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आज छठा हिस्सा दो, कल आधा दो, परसों छठा तुम रख लों। पाँच हिस्से हमको दे दो, और १६५७ तक तुम सिर्फ जितनी जमीन जोत सको उतनी रखो, वच्ची हुई दरिद्रनारायण के चरणों में समर्पित कर दो। भू-दान असल में भूमि के बैटवारे के लिए है, भूमि-समर्पण की प्रक्रिया है। यह दान न्यायोचित वितरण के लिए है। इसमें देनेवाला पापक्षालन करता है, और लेनेवाले का सम्मान होता है। अर्मीर के दोप धुलते हैं और गरीब का सम्मान होता है।

सम्पत्ति का अन्त और मानवता का रक्षण

विनोदा कहते हैं कि तुम कालपुरुष के पद-चिह्नों को पहचानो। अग्रेजों का साम्राज्य गया, राजाओं की रियासते गयीं, उनकी गैल अमीरों की अमीरी भी जानेवाली है। जमाने के रवैये को और रफ्तार को रोक सकना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। समय को पहचान कर अग्रेजों ने अपनी प्रेरणा से दिल्ली का तख्त छोड़ दिया। आज उनका हमारा सभ्यता का सम्बन्ध कायम है। राजाओं ने अपनी मर्जी से अपनी रियासतों का राजपाट जनता-जनार्दन के चरणों में चढ़ा दिया। आज वे जनता के बीच वेखटके रह सकते हैं। अमीर अगर अपनी सम्पत्ति का विसर्जन अपनी इच्छा से करेगा तो सिर्फ उसकी सम्पत्ति जायगी, उसकी इज्जत और हिम्मत वनी रहेगी। हम अमीर की सम्पत्ति का अन्त करना चाहते हैं, उसकी मनुष्यता का विध्वस नहीं करना चाहते।

पूँजीवाद के पुरुषार्थ का एकमात्र सुयोग

अगर कोई मेरी घड़ी दो धौंस जमाकर मुझसे छीन लेता है, तो मेरी घड़ी तो जाती ही है, लेकिन साथ-साथ मेरी आत्ममर्यादा और मेरा पुरुषार्थ भी खत्म हो जाता है। या तो मैं डर जाता हूँ या प्रतिशोध की जलन से उबलने लगता हूँ। बदला लेने की ताक में रहता हूँ। कहना होगा कि रूस की क्रान्ति के ३५ साल बाद के और चीन की क्रान्ति के ५ साल बाद के इस जमाने में हम रह रहे हैं। पूँजीवाद के सारे अन्तर्गत विरोध चरमसीमा पर पहुँच गये हैं। वह त्रिदोपो के सन्निपात की स्थिति में अपनी अन्तिम सौंसें गिन रहा है। प्रतिशोध या प्रतिकार की शक्ति अब अमीरों में नहीं रह गयी है। गरीबों

के साथ स्नेह-सम्बन्ध प्रस्थापित करने में ही उनके लिए पुरुषार्थी का एकमात्र सुयोग है।

इसमें डराने-धमकाने का कोई सवाल ही नहीं है। जो व्यक्ति हमें काली-काली घटाओ से धिरा हुआ बादल दिखाकर हमसे छाता लगा लेने का अनुरोध करता है, वह हमारा बैरी नहीं, दोस्त है। वह हमको आगाह कर देता है। अमीरों को दान का मौका देकर विनोदा उन्हें सावधानी की छत्री देते हैं। उन्हें कोई हीवा नहीं दिखा रहे हैं।

सत्याग्रही प्रक्रिया की विशेषता

‘दान’ शब्द में बुद्ध लोगों को जीर्ण मतवाद की महक आती है। वे कहते हैं, सम्पत्ति क्या अमीरों के वाप की है, जो हम उनसे दान में मोगें? उनसे दान मोगने का मतलब यह होता है कि हम अप्रत्यक्ष रूप में उस सम्पत्ति पर उनकी भालकियत कबूल कर लेते हैं।

यह विचार भ्रांतिमूलक है। कोई मनुष्य मेरी टोपी छोन लेता है, मैं समझाकर कहता हूँ देखो। टोपी तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तुम्हे उसे रखने का कोई हक नहीं है, लौटा दोगे तो भगड़े का मुँह काला होगा। बात उसकी समझ में आ जानी है और वह टोपी वापस करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तो क्या उससे यह कहूँ कि जरा ठहरो, मैं तुम्हे दो तमाचे लगा दूँ। तब तुम मुझे टोपी छोन लेने दो। अमीर अगर समय की नितिविधि को पहचान कर सम्पत्ति का दान कर देता है, तो उनसे जो उसकी भालकियत सिद्ध नहीं होती। भ्रांति की प्रक्रिया के विषय में जो कहरपंथी, दक्षियानूसी कठमुल्ले नहीं हैं, उनके दिमाग ने ऐसा आचेप कभी नहीं आयेगा। वह दान असल ने बल्कि

दिखा सकेगी। सैकड़ा-पाँच अमीरों पर उन्हें और भी नहीं उठानी पड़ेगी हाथ उठाने की तो वात ही क्या?

गरीब अपने भग्य का विधाता कैसे बनेगा?

गरीबों के दान में एक बहुत मूलगामी तत्त्व है। पूँजीवाद की बुनियाद है—मालकियत की भावना और मुनाफे की प्रेरणा। सम्पत्ति के मोह की यही जड है। यह वह चाँदी की बेड़ी है जो पूँजीवाद के कारागृह में गरीब को जकड़ कर रखती है। अमीर को अगर यह डर हो कि उसके सोने के ककण लुट जायेंगे, तो वात समझ में आती है। लेकिन गरीब को किस वात का डर है? उसके पास खोने के लिए है ही क्या? अगर कोई कैदी इसलिए डरने लगे कि कहीं उसकी हथकड़ियों न छीन ली जायें, तो आप क्या कहेंगे? विपुल सप्रह का नाम अमीरी है और अल्प सप्रह का नाम है—गरीबी। अमीर को बड़ी मालकियत का मोह है, गरीब को छोटी मालकियत की ममता है। इसीलिए पूँजीवाद का यह इन्द्रजाल गरीब को भी चक्कर में ढाल रहा है। हम अमीर से कहते हैं कि तुम अमीरी छोड़ो और गरीब से कहते हैं कि तुम गरीबी छोडो। जिस दिन गरीब छोटी मालकियत की बेड़ी तोड़ देगा उसी दिन आजाद होकर अपने भग्य का विधाता बनेगा।

अमीर अपनी सम्पत्ति में से दान करता है। बीस रोटियों में से पन्द्रह भी दे देता है तो उसके पास पेट भरने के लिए पोंच रोटियों बच जाती हैं। इसलिए सम्पत्ति-विसर्जन के लिए हमने 'दान' सज्जा का प्रयोग किया है। लाभ की प्रेरणा के निराकरण का सकेत दान में है। लेकिन जो अपनी एक रोटी में से पांच रोटी का भोग लगा देता है, वह भगवान् को अपने जिगर का

क्रांति का अगला कदम

दुकड़ा चढ़ाता है। अपना पेट काटकर अपनी स्नेह-भावना प्रकट करता है। उसके दान में यज्ञ के सभी गुण होते हैं। इसलिए गरीब के दान को हम 'यज्ञ' कहते हैं। इसमें मालकियत का ही विसर्जन है। आज हम मालकियत को विवेरकर सबको मालिक बना देना चाहते हैं, लेकिन यह हमारी छोटी है, छापर नहीं। हमारा मुकाम नहीं है। यह हमारी छोटी है, हमारा अन्तिम कदम होगा भूमि का 'आमोकरण'। उस दिशा में उत्पादक की मालकियत पहला; बुनियाड़ी, निश्चित कदम है।

पारस्परिक उद्धार का प्रशस्त मार्ग—भू-द्वान
 कुछ लोग यह भी कहते पाये जाते हैं कि भूमिदान में देने-चाले की प्रतिष्ठा है; लेकिन लेनेवाले का कोई भी गोरव नहीं है। क्या सशब्द क्रान्ति में लेनेवाले का गोरव होता है? क्या कानून बना देने से पानवाल गोरवान्वित हो जाता है? राज्य ने कानून बना दिया, भूमिहीन को जर्मान मिल गयी। इसमें उम्रका कौन-सा पुरुषार्थ है? शब्दग्राहारी क्रान्तिकारियों ने सारी जर्मान पर कद्दा कर लिया और वाद में जो लेनेवालों को बॉट दी। इसमें पानेवाल का कौन-सा पुरुषार्थ है? वह बहुत बड़ा भ्रम है। राज्य कानून से जर्मान ले लेता है। शब्दग्राहारी अब शब्द प्रयोग से लेता है। आज डरिद्रनारायण के प्रतिनिधि विनोदा ले रहे हैं। इसमें कौन-सा तात्त्विक अन्तर पड़ जाता है? इस सबका पारण यही है कि प्रथ तक हमारे दिमाग पर क्रान्ति की परम्परागत प्रक्रिया की जयदृष्टि पकड़ है। क्रान्ति के साधन के भास्तु में बुद्धिमान मनुष्य भी गतानुगतिक ही रह गये हैं। उन गरीब भी इस यत्त ने अपना ईर्विभाग चढ़ाते हैं तो दाता और दीन, उठार और भित्तारी का फर्क दर्हों रह गया? छोटा

किसान और खेती का मजदूर दोनों एक ही श्रेणी के हैं। दोनों का सामाजिक स्तवा वरावरी का है। वे अगर एक-दूसरे को जमीन देते हैं तो यह सम्प्रदान दोनों का उद्धार करता है।

समझ लीजिए कि भगड़ा-फसाड के कारण कारीगरों के औजार छीने गये। लकड़हारे की कुल्हाड़ी उसके हाथ में नहीं रही, किसान की कुदाली चली गयी और लुहार का हथोड़ा दूसरा कोई ले गया। हम उन सवको इकट्ठा करके उसमें दृढ़ सकल्प की शक्ति पैदा करते हैं। इस सकल्प के प्रभाव से ही उनकी चीजें उन्हें वापस मिल जाती हैं, तो क्या वे गौरवान्वित नहीं होते हैं?

हम जब इनाम बॉटते हैं तो जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसका सम्मान क्रिकेट या अच्छा बल्ला देकर करते हैं। शिवाजी महाराज ने प्रसाद के स्तर में भवानी माता से तलबार पायी। हम भी बहादुर सिपाही को तलबार भेट करते हैं। उसी तरह उत्पादन का उपकरण उत्पादक के हाथ में देते हैं, तो क्या यह उसका सम्मान नहीं है?

अमीरी अगर गुनाह है तो गरीबी भी गुनाह है। कगालियत कोई सद्गुण नहीं है। दरिद्रता में कोई पुण्य नहीं है। दरिद्रता भी सामाजिक अपराध है। जो कंगाल है, वह मालदार बनने के लिए रात-दिन तड़पता रहता है। उसके मन में अमीरी की तमन्ना रहती है। मालदार बनने में जो सफल हो गया वह मालदार कहलाता है। प्रतियोगिता में जो पिछड़ गया, वह गरीब कहलाता है। ऐसा गरीब हताश और हतबुद्धि हो जाता है। गरीबी के कारण गरीब में हैवानियत आ जाती है। हम अमीरी की शैतानियत को खत्म करना चाहते हैं, गरीब की हैवानियत को खत्म करना चाहते हैं। दोनों की इन्सानियत को

क्राति का अगला कदम

चाना और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए यह क्रान्ति की प्रक्रिया
अनृती और अनोखी है।

भूख और गरीबी को बाट लेंगे !

जिन लोगों को डर है कि जर्मीन के बैटवारे से उत्पादन
बट जायगा, वे लोग भूल जाते हैं कि आखिर पूँजीवाद में
मालिक बन जायेंगे तो प्रेरणा मिलती है। अगर सब
धोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि उत्पादन घटेगा,
तो भी हम यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हमको उत्पादन
बढ़ाने की उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी आर्थिक विप्रमता के
निराकरण की है। हम अपनी गरीबी और भूख को ही बाट
लेंगे, चाहे सम्पन्नता बढ़े या न बढ़े। अमीरी बाटने से कम
होगी, उसी तरह भूख और गरीबी भी बाट लेने से कम हो
जायेगी।

यदि रहे कि उत्पादन बढ़ा देने से आर्थिक विप्रमता का
निराकरण नहीं होता। जस्तरतमन्द को जस्तरत की चीज भी
मयत्सर होना चाहिए। उत्पादन की योजनाओं में गरीब को
जिन्दगी की जस्तरत की चोज़े मुहूर्या कराने की कोई योजना
नहीं होती। एक तरफ उत्पादन का ढेर होगा और दूसरी तरफ
भूख की अश्राह राई होगी।

भूख रेश्वर का बरडान भी है और कालपुरुष का अभिशाप
भी। भूख न तो संकृति जानती है, न धर्म को पहचानती है
और न राजनीतिक तन्त्र की कायल होती है। प्रतिनृष्टि के निर्माण
की सामर्ज्य सम्बन्धों में उम्र तपन्दी विश्वामित्र को भी जब
भूख ने सताया तो उसने धर्म और सम्भवा की सारी नर्यादाओं

को ताक पर रखकर चांडाल के यहाँ से कुत्ते की वासी टाँग चुराकर खा ली। मनुष्य के व्यक्तित्व का जैसा विद्वस भूख से होता है, वैसा किसी अस्थ या आयुध से नहीं होता।

बदले के नशे से कूरता का उद्घव

चीन की क्रान्ति का एक प्रसग है। एक सभा में जर्मींदार पर आरोप लगाये जाते हैं। सारा बातावरण उबलने लगता है। एक भोली-भाली, कृपाशील, बालबद्धोवाली देहाती महिला खड़ी होती है और कहती है—

“मैं मुर्गी खाती हूँ, लेकिन अपने हाथों से मुर्गी काट नहीं सकती। मेरे सामने कोई मुर्गी काटने लगता है तो मुझसे देखा नहीं जाता। कलेजा कॉपने लगता है, और उसे ढक्कावाती हैं। लेकिन आज इस वक्त बदला लेने का नशा मुझ पर इतना सवार है कि इन्हीं हाथों से इस जर्मींदार की गर्दन मरोड़कर मैं इसका लहू पी सकती हूँ।”

इस ल्ली की जगह हम अगर अपनी माँ, बहन और बेटी की कल्पना करें तो हमारे ध्यान में आयेगा कि प्रतिशोध की भावना से मनुष्य का व्यक्तित्व किस तरह तितर-वितर हो जाता है।

वह रोज भगवान् से प्रार्थना करती है कि अगले जन्म मे मुझे सास बना दे और मेरी सास को मेरी वहू बना दे, तो मै रोज झाड़ू से पीटा करूँगी।

यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और हम उसे कम्य भी मानते हैं, लेकिन आखिर है प्रतिक्रिया ही। क्रान्ति के लिए प्रक्रियावान व्यक्ति चाहिए, न कि प्रतिक्रियावान। क्रान्ति में प्रतिक्रिया अनिवार्य नहीं है। प्रतिक्रिया से जो क्रान्ति होती है, उसकी कोख से

क्रान्ति का अगला कदम

प्रतिक्रान्ति पैदा होती है। इस क्रान्ति और प्रतिक्रान्ति की परम्परा का कभी अन्त नहीं आता। हम क्रान्ति के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का संरक्षण करना चाहते हैं। उसे छिन्न-भिन्न नहीं होने देना चाहते।

सार्वत्रिक क्रान्ति का पांचजन्य—भूदान-यज्ञ

अमीरों से हमारा अनुरोध है कि वे वास्तविकता से मुँह न मोड़ें। आज गरीब का राज्य हो गया है। याने सत्ता भूखे के हाथ में है और मालकियत मुहुरी भर अमीरों के हाथ में। इस तरह की मालकियत कब तक ठहरेगी? लोकशाही, भूख और व्यक्तिगत मालकियत साथ-साथ हर्षिज नहीं चल सकती। एक-न-एक दिन सत्ताधारों उत्पादक, अनुत्पादक की मालकियत को समाप्त किये विना नहीं रहेगा। यह नियति अटल है। गरीबों से भी हमारा एक निवेदन है। किसान खाने के दाने अलग रखता है और वोने के दाने अलग। वीज के दाने अधिक मूल्यवान और गुणकारी होते हैं। गरीब का यशस्वि दान हमारी क्रान्ति के लिए वीज के दाने का काम करेगा। गरीब के पुस्तर्ध से जो क्रान्ति होगी वह सबकी क्रान्ति होगी, सार्वजनिक और सार्वत्रिक होगी और इसीलिए वह सर्व-कल्याणकारी होगी। भूदान-यज्ञ के रूप में ऐसी क्रान्ति का पांचजन्य वज्र चुका है। वह हमारे पुस्तर्ध को चुनौती और निमंत्रण दे रहा है। इसी-लिए विनोद ने दान और यज्ञ की इस उभय-कल्याणकारी प्रक्रिया का प्रयोग वड़ी वीरता के साथ शुरू कर दिया है।

हमारी कुदुम्ब-संस्था मानवीय न्यैह पर अधिष्ठित सहजीवन की प्रयोगशाला है। विनोद काँडुविक जीवन के मूल्यों का विनि-योग सार्वान्नय जीवन में करने की साधना कर रहे हैं। जिनके

पास जमीन और सम्पत्ति हैं, उनसे वे कहते हैं कि तुम्हारे परिचार में पाँच आदमी हैं। भगवान् की कृपा हो जाय और छठा वेटा और पैदा हो जाय, तो क्या उसे जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे ? कुदुम्बवत्सल लोग कहते हैं, “क्यों नहीं देंगे ? वह तो जन्म के साथ अधिकार लेकर ही आयेगा !” विनोबा कहते हैं, “आयेगा तब आयेगा, भगवान् की कृपा से इस मिट्टी में से, दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि के नाते, आज ही मैं तुम्हारे वेटे के रूप में, तुम्हारे घर में प्रकट हो गया हूँ। मुझे मेरा हिस्सा नहीं देंगे ?” इस देश का द्यावान् स्नेहालु, ईश्वरपरायण देहाती गदगद हो जाता है। अपनी विपन्नता में से भी दरिद्रनारायण का पष्ठाश दे देता है। इस तरह विनोबा अपने अनुकरणीय ढग से मानवीय मूल्यों का वीजारोपण करते चले जाते हैं।

घरा ढोलने लगी है

इस सत को न सत्ता का सम्मोह है, न ममता है और न मान्यता की लालसा है। निर्व्याज और निरपेक्ष स्नेह ही उसकी एकमात्र शक्ति और पूँजी है। उसने यह सकल्प कर लिया है कि सन् १९५७ तक वह पाँच करोड़ एकड़ भूमि सारे देश में से इकट्ठी करेगा और एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को मालिक चना देगा। भूमि के इस हस्तान्तर से समाज में युगान्तरकारी स्थित्यन्तर होगा। यह अकेले एक व्यक्ति का सकल्प नहीं है, यह इस देश की जनता की आकांक्षा है, धरती-माता का अरमान है, जमाने का तकाजा है, काल-पुरुष की भेरी का निनाद है और क्रान्ति-देवी के ढंके की गँज है। जमीन और आसमान के सकेत एक-दूसरे में मिलकर दसों दिशाओं को निनादित कर रहे हैं। अब शेषनाग का फल हिलने लगा है, घरा ढोलने लगी है, मिट्टी चल पड़ी है।

क्रान्ति का अगला कदम

क्रान्ति का मुहूर्त सिर्फ आज है, कल नहीं
 हमारी अमीर और गरीब, सभी से हाथ जोड़कर सानुरोध
 के सुसाधिक भारतमाता के चरणों में अपना-अपना हैसियत
 छढ़ावे। जिसके पास जो हो, हरएक अपनी-अपनी नैवेद्य
 और पूड़ी लाये। जिसके पास मोहनमोग और पूड़ी हो, वह मोहनमोग
 चना-चवेना, चिड़ा ही लाये। जिसके पास चना-चवेना, चिड़ा हो, वह
 वह जंगल के बेर, करोदे और अचार ही लेकर आये; लेकिन
 घड़ी कोई न चूकने दे। दान की लगन और क्रान्ति का मुहूर्त
 आज ही है और आज के बाद फिर कभी नहीं है।

भारतमाता के मंदिर में प्रसाद के लिए हाथ पसारे सब
 खड़े हैं, लेकिन नैवेद्य लाने से सब जी चुराते हैं। चिनोचा कहते
 हैं कि नैवेद्य नहीं आयेगा तो प्रसाद कहाँ से बैठेगा? जब अमीर
 अपनी प्रभूत सम्पत्ति का चढ़ावा भारतमाता के चरणों में
 चढ़ायेगा और गरीब अपनी अत्य सम्पत्ति का भोग लगायेगा
 तब उसका गोपाल-कलेवा बनाकर भगवान् कृष्ण की तरह
 भारतमाता उसको बाँटेगी। सब साथ खायेगे, साथ काम करेंगे।

एक सार्वजनिक सभा में
 दिया गया भाषण

जीवनदानी का जीवन-योग

सब तरफ से एक ही शिकायत सुनाई देती है, “आदमियों की कमी है, आदमी खोजे नहीं मिलते !” सरकार भी यही शिकायत करती है, संयोजन और विकास के परिचालक यही कहते हैं, बड़े-बड़े कुशल व्यवसायपति यही कहते हैं, रचनात्मक संस्थाओं के सचालक यही कहते हैं, अपने-अपने घरेलू कामों के लिए नौकर-चाकर रखनेवाले खुशहाल लोग यही कहते हैं और अपने खेत या फॉपडी के काम एकाध दिन के लिए मजदूर से करानेवाले गरीब लोग भी यही कहते हैं। एक तरफ तो यह शिकायत है कि आदमियों की तादाद वेशुमार और वेतहाशा बढ़ रही है। दूसरी तरफ कुछ अमीर गोद में बच्चे ले रहे हैं और संस्थाओं में आदमियों का दुर्भिक्ष है। इसका अर्थ यह है कि उपयुक्त और उपयोगी आदमियों का अकाल है। भूदान-यज्ञ-आदोलन में भी यही अभाव अखर रहा था। “देनेवाले हैं, माँगनेवालों की कमी है, जनता समझने के लिए उत्सुक है, उसे समझानेवाले कहाँ हैं ?” विनोबा, जयप्रकाश वावू से लेकर साधारण-से-साधारण कार्यकर्ता, मगन और छगन तक सबकी यही शिकायत थी। जीवन-दान में से इस शिकायत का सर्व-सन्तोषकारी उत्तर मिलना चाहिए। भारतरूपी इस महामानव-सागर में क्या मनुष्यों की कमी रहे ? क्षीर-समुद्र में प्यासा मनुष्य पानी के लिए तडप-तडपकर मर सकता है, परन्तु अमृत-सिन्धु

जीवनदानी का जीवन-योग

का तो एक विन्दु भी अक्षय जीवन देता है। जीवनदानी अपनी वृत्ति और कृति से द्वीरसमुद्र को द्वीरसागर में बदल सकते हैं।

जीवनदान का सूत्रपात किसलिए? जो रुकती है वह क्रान्ति नहीं है। सूर्योदय के बाद सूर्य की गति रुकती नहीं। क्रान्ति का सूर्य एक बार निकलने के बाद फिर अस्ताचल की तरफ नहीं जाता। कभी-कभी बादल उसे आँखों से ओफल कर सकते हैं, लेकिन बादल असल में सूर्य को नहीं ढँकते; हमारी दृष्टि को प्रतिवद्ध कर देते हैं। क्रान्ति का कदम भी रुकावटों और विज्ञानों का सामना करने में कभी-कभी रुकता हुआ-सा नजर आता है; लेकिन दरअसल वह कभी ठहरता नहीं है। इस की क्रान्ति १६०५ ई० में असफल हुई। उस असफलता से क्रान्ति के सेनापति लेनिन का उत्साह शिथिल नहीं हुआ। उसने बड़ी संयत दृढ़ता के साथ कहा, “हम तो अविरत क्रान्ति का प्रतिपादन करते हैं। हम रस्ते में रुकनेवाले नहीं हैं।” भूदान-यज्ञ के प्रमुख होता विनोदा का भी यही संकल्प है। कही हमारा जोश और हमारी रक्तार ढीली न पढ़ जाय, इस विचार से जयप्रकाश वाबू ने जीवनदान का ‘पुण्याह्वान’ किया। इसा ने अपने साथियों से कहा था, ‘तुम इस बहुरूपा चमुन्धरा के नमक हो।’ तब उसका अभिप्राय यह था कि तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी कार्यकुशलता से इस मृत्युलोक के जीवन में भी तुक्फ और लज्जत आयेगी। लेनिन ने अपने साथियों से कहा था कि हमें ऐसे क्रान्तियोगी चाहिए जो क्रान्ति के लिए केवल अपनी फुरसत की सोक ही नहीं, बरन् अपनी सारी जिन्दगी न्यौद्धावर कर देंगे। किसी ने शका उठायी, ‘कितने आदमी मिलेंगे जो अपनी जिन्दगी कुर्यान कर देंगे?’ लेनिन ने कहा, ‘मुझे कितने की फिक्र नहीं है, धोड़े ही हो, लेकिन अच्छे हों;

इन्हें गिने ही हो, लेकिन पक्के हो, अपनी वात के धनी और क्रान्ति के मतवाले । सबाल यह नहीं है कि जीवनदानी कितने हैं और वे समाज के किस स्तर से आये हैं । सबाल यह है कि वया वे धुन के पक्के हैं ? क्या उन्हें इन्कलाव की लगन लगो हुई है ? क्या आराम का सारा सामान और जिन्दगी की अन्य नियामते उन्हें अगर भारस्त्रप नहीं तो कम-से-कम फीकी मालूम होती हैं ? ऐसे आदमी उगलियों पर गिनने लायक भी हो, तो भी वे सारी कैफियत बदल देंगे । कहते हैं कि श्रद्धा पहाड़ को हिला देती है । जो श्रद्धा चट्टान को ढहला देती है, क्या उसका आदमियों पर कोई असर नहीं होगा ? जीवनदानियों के लिए सोचने की सबसे मुख्य बात यही है ।

अतिमानव नहीं, सही आदमी

पेट तो जैसा दूसरो का है, वैसा ही जीवनदानी का भी है । दूसरों की रसना में जैसे स्वाद के लिए रुचि होती है, वैसे ही जीवनदानी की जीभ में भी होती है । गुदंगुदाओं तो उसे हँसी आती है, चुटकी काटो तो उसे भी रोआस आती है । जीवनदानी होने से वह अतिमानुष नहीं बन जाता, परन्तु उसकी वृत्ति में जमीन-आसमान का फर्क होता है । जो उदरार्थी है वह पेट के लिए काम करता है । जो वैभवाकांक्षी है वह सुख-चैन के लिए मेहनत करता है । जो भोग-विलासी है वह भोगक्षमता बनाये रखने के लिए सयम करता है । लेकिन जो क्रान्ति-निष्ठ है वह क्रान्ति के लिए जीता है । जो लोक-कार्य-निरत है वह लोक-सेवा के लिए पेट भरता है और जो स्वार्थत्यागी है वह दूसरों को सुखी करने के लिए सयम और वलिदान करता है । दोनों में यह बुनियादी फर्क है ।

जीविका को प्रधान समझकर उसके अनुरूप जो अपने जीवन को मोड़ता है, वह व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज-हित की बालि दे सकता है। आप उसे दाम देंगे तो वह काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। काम आपका है, उसका थोड़े ही है। वह तो दाम का कायल है। जिसे लाभ की अभिलापा है वह फायदा देखेगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसे मुनाफे से मतलब है, काम की उसे परवाह नहीं है। काम न हो तो क्या मुजायका है। लेकिन हर हालत में फायदा होना चाहिए। जीवनदानी की मनोवृत्ति इसके विलकुल विपरीत होगी। आप उसे दाम दे या न दे, उसके 'योगचेम' की चिंता करें या न करें, उसे तो काम करना ही है। जब तक उसके शरीर में प्राण होगा और बुद्धि में मादा होगा, तब तक वह क्रान्ति की प्रगति में साथ रहेगा। उसके लिए जीविका मुख्य नहीं है, क्रान्ति मुख्य है। लेकिन उसने दान अपनी जान का नहीं किया है, जिन्दगी का किया है। उसे जनता के चरणों में अपनी जान नहीं छढ़ानी है, उसकी सिद्धमत से अपनी जिन्दगी खपानी है। इसलिए वह अपने निर्वाह की आवश्यक साधन-सामग्री धन्यवाद-पूर्वक समाज से लेगा। उसको समाज की कृपा और जनता का अनु-प्रह मानेगा। परन्तु साथ-साथ वह उस प्रसाद का अपने आपको अधिकारी भी समझेगा। उसके पास अपनी कोई निजी मिल-क्षियत, सन्पत्ति या जायदाद होनी तो वह उसे कृष्णार्पण करके समाज की धरोहर मानेगा। वह विनोद से यह नहीं कहेगा कि 'अरनं सम्ल-मिलकियत मे ने अमुक अंश सन्पत्तिदान मे देता हूँ। बल्कि यह कहेगा कि अब यह भारी सन्पत्ति आणकी है। मैंने 'उँ न मन' ('यह नेंग नहीं है') उक्तकर संकल्प आ जल दोइ दिया है। यदि उसके भाई, धन्य और स्त्री-युग्रादि का अधि-

कार सम्पत्ति पर हो तो वह अपने व्यक्तिगत अधिकार का विस-
ज्ञन कर देगा और अपरियही बनकर अपने आपको क्रान्ति के
कार्य में पूरी तरह लगा देगा। जीवनदान जो देता है, वह 'विश्व-
जित्-यज्ञ' करता है, अर्थात् वह सारे दानों का संकल्प एक ही
दान में कर देता है। जीवनदान में सम्पत्ति-दान, श्रमदान,
समयदान, चुद्धिदान, साधनदान और आयुर्दान सभी कुछ
शामिल हैं। जीवनदान में जीविकादान तो समाविष्ट है ही।
जिस प्रकार शंभु के साथ अस्त्रिका आ जाती हैं, उसी तरह
जीवन के साथ जीविका आ जाती है। रामचन्द्रजी अगर राज्यश्री
को छोड़कर वनश्री के भाग पर पदार्पण करते हैं तो सीताजी
छाया की तरह उनका अनुगमन करती हैं। जीवन की जो गति
होगी, वही जीविका की भी होगी।

क्रान्ति की मिट्टी

लोग कहते हैं कि क्रान्ति-पुरुष मिट्टी में से सैनिक बनाता
है। विनोबा ने मुट्ठी-मुट्ठी मिट्टी माँगने से आरभ किया। जिस
मिट्टी से इंट बनती, उसी से काली माई या गणेश की मूर्ति
नहीं बनती। मूर्ति के लिए खास तरह की मिट्टी खोजनी और
'कमानी' पड़ती है। भूमिदान में जो मिट्टी दाता की स्वयं
प्रेरणा से मिली, वही अहिंसक क्रान्ति-वीर पैदा कर सकती
है। अब तक विनोबा ने मिट्टी कमायी। अब वे उस मिट्टी में मान-
वता के बीज बोना चाहते हैं। इसलिए मिट्टी माँगते-माँगते
सम्पत्ति माँगने लगे, श्रम माँगने लगे, चुद्धि माँगने लगे, समय
माँगने लगे, और अब तो आयु भी माँगते हैं। जो जीवनदान
करेगा, वह समाज को जीवन-सम्पन्न बना सकेगा।

पेट के लिए काम नहीं, क्रान्ति के लिए प्रसाद

जो वेतन और दाम के लालच से काम में शामिल होगा, वह

जीवनदानी का जीवन-योग

अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा, समाज को धोखा देगा। जो क्रान्ति के लिए जीने का संकल्प करेगा और निर्वाह के लिए 'प्रसाद' ग्रहण करेगा, उसका जीवन धन्य होगा और वह समाज की तरफ से वफादार रहकर अपना ईमान सँभालेगा।

पट्टना १७. ६. ५४

गरीबों की क्रान्ति का अर्थ

एक रिक्शे में पाँच सवारियाँ बैठकर जा रही थीं। पुलिस का सिपाही देख रहा था। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रिक्शे में बैठे हुए बाबू लोग थे, कोट-पतलून, ऐनक आदि सारे आधुनिकतम प्रसाधनों से सजे हुए। स्टेशन पर ये लोग रिक्शे से उतरे। आपस में बातें शुरू हुईं। चर्चा के अब ठप्पे बन गये हैं। एक ही ढाँचे में ढला हुआ वार्तालाप सब जगह सुनने को मिलता है।

एक ने कहा, “विलकुल मकार सरकार है। कहीं कोई अनुशासन नहीं। बक्त पर काम नहीं होता, गरीबों का तो जरा भी स्थाल नहीं किया जाता। हर जगह उनको धोखा दिया जाता है और उनकी आत्ममर्यादा कुचली जाती है। ऐसा ईश्वरविरोधी राज है कि गरीबों की सुध भगवान् भी नहीं लेते।” इत्यादि-इत्यादि।

दूसरे ने कहा, “पूँजीवाद का अमल है। किसान-मजदूर का सगठन किये बिना वेडा पार नहीं होगा। मैं तो आजकल उसी उद्योग में हूँ।”

वेजानिक प्रक्रिया में भावना का क्या काम?

गरीबों के ये खैरख्वाह एक रिक्शे में पाँच-पाँच बैठे थे। उनकी अन्तरात्मा में कोई टीस नहीं थी। कुली के सिर पर भी उन्होंने उसी वेरहमी से वेहिसाव बोझ लादा और इटर क्लास के ढव्वे में बैठने के बाद पैसे के बारे में उससे देर तक चख-

चस की। गरीबों का कोई संघर्ष करता; उनका कर्तव्य धोड़े ही था? उन्होंने तो रहम, हमदर्दी और परोपकर की तरह जिन्नेवारी राज्यसंस्था को सौंप दी थी। उनका अपना हृदय सभी तरह की मानवीय भावनाओं से दिलहृत रुक्षान्दूला रोगितान है। वे विष्णववादी हैं, चिन्द्रोही हैं, उद्गुस्त हैं, तोकिं मानवीय करुणा से उनको कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल संघर्ष चाहिए। संघर्ष में जो उनके साथ होंगे, वे ही उनके 'सार्थी' होंगे। यह जहरी नहीं कि जो 'सार्थी' हो, वह हनारा मित्र भी हो, उनके लिए हमारे मन में ल्लेह हो। वैज्ञानिक प्रक्रिया में भावना का क्या काम?

आपस में हमदर्दी का भाव नहीं

दोन्तीन दिन के बाद फिर वहाँ दृश्य देखा। उसी तरह रिक्षे में पैच जने लड़े हुए थे। अबकी बार रिक्शेवाला बाबुओं का घोम नहीं ढो रहा था। पैचो सवारियाँ भेहनती और परेशान गरीबों की थीं। वे भी त्रिलकुल बेरहभी से रिक्शेवाले से पैसे के लिए हुज्जत कर रहे थे। गरीबी ने उन्हें बेहवा बना दिया था: उनकी सारी मानवीय संवेदनाओं पर मानो काठ भार गया था। उन्हें दूसरे गरीबों के दुखन्दर्दी के साथ समवेदना नहीं थी। उन्हें तो यही शिकायत थी कि दुनिया में सुशाहाल लोग क्यों हैं? रिक्शेवाले में और उनमें एक ही समाज धर्म था कि अमीरों की अमीरी के संरक्षण के लिए वनी हुई अर्थरचना को तोड़ना चाहते थे, उस व्यवस्था के कानून और नियमों को सरे बाजार भग करना चाहते थे। "यह देखो रिक्शे में पैच-पैच सवारियाँ लदकर तुम्हारी छाती पर मैंग दलते जा रहे हैं।" रिक्शेवाले का यहाँ रस है। अमीरों के खिलाफ रिक्शावाला और उसकी सवारियों, दोनों को शिकायत है, दोनों अमीरों के कट्टर दुश्मन

हैं, परन्तु आपस में एक-दूसरे के लिए उनको कोई हमदर्दी नहीं है।

आपस में कोई निरपेक्ष एकता नहीं

गरीब के होश विगड़ गये हैं और अमीर के होश उडने की फिक्र में हैं। इसलिए दोनों परिस्थिति का ठीक-ठीक विचार करने में असमर्थ हैं। एक-दूसरे के खिलाफ मन में जो प्रतिक्रिया उठती है, उसीके मुताबिक दोनों व्यवहार करते हैं। गरीबों के खिलाफ सारे अमीर एक होने का विचार करते हैं और अमीरों के खिलाफ सारे गरीब एकता करने का इरादा करते हैं, लेकिन दोनों में आपस में कोई निरपेक्ष एकता नहीं है। इसलिए दोनों में केवल विरोध की भावना जोर पकड़ती है, मैत्री और सख्य-भावना का विकास करने की चिन्ता किसी को नहीं है।

मनुष्य-शक्ति के रूप में पूँजीवाद ने जो कुछ अवशिष्ट रखा है, वह यह है। मनोवृत्ति और आकृत्ति की दृष्टि से अमीर और गरीब दोनों में कोई फर्क नहीं है। अमीर और अमीर के बीच चढ़ा-ऊपरी और स्वार्थों की टक्कर है और गरीब-गरीब के बीच में होड़ तथा स्वार्थों का झगड़ा है। इसीमें से हमें वन्धुत्व और समत्व की ओर अग्रसर होना है।

यह क्रान्ति नहीं कही जा सकती

क्रान्ति की आवश्यकता और जल्दी किसे है? अमीर को या गरीब को? मुसीबत और कष्ट तो गरीब को है। उसे क्रान्ति की जल्दी है। समाज में फी सदी नव्वे व्यक्ति गरीब हैं। ऐसी हालत में क्रान्ति के लिए इतना वक्त और इतने प्रयास की जरूरत क्यों होनी चाहिए? एक हो सकता है। पूँजीवादी मूल्य और पूँजीवादी मनोवृत्ति का त्याग गरीब ने नहीं किया है। मुझी भर अमीर उसके सारे पराक्रम को निष्फल कर सकते हैं। अमीर की

तरह गरीब भी शोपण के मौकों की ताक मे रहता है। अमीर के पास शोपण के जितने साधन और मार्ग हैं, उतने गरीब को उपलब्ध नहीं है। यह गरीब की शिकायत है। इसलिए अमीर के खिलाफ उद्दृतापूर्वक विद्रोह करना, वह अपना अधिकार मानता है और उसमे शामिल होने के लिए दूसरे गरीबों को भी दावत देता है। इससे अमीर की सम्पत्ति छीनने की वृत्ति तो पैदा हो सकती है; परन्तु संग्रह के सार्वत्रिक निराकरण की भावना नहीं पैदा हो सकती। इसे विद्रोह या वगावत भले ही कह लीजिये। यह क्राति हरगिज नहीं कही जा सकती।

शोपण की भावना का निराकरण आवश्यक

क्राति का अर्थ है, पूँजीवादी मूल्यों का समूल निराकरण। सौं मे से पंचानवे व्यक्ति जो कि गरीब हैं, अगर द्वेष और प्रनिशोध की भावनाओं की मूर्नियां बन जायेंगे, तो सारा सामाजिक जीवन जहरीला हो जायगा। गरीब अपनी गरीबी के निराकरण की प्रक्रिया मे पूँजीवाद के मूल्यों को तो तूल देना नहीं चाहते? तब तो उन्हे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामृहिक जीवन मे से सबने पहले शोपण की भावना का निराकरण करना चाहिए। एक गरीब दूसरे गरीब की गरज से फायदा उठाने की भावना जब तक रखेगा, तब तक समाज मे शोपण के बीज रहेंगे और चूंकि गरीब ही उन्हे हर जण सीचते हैं, इनलिए वे जड़ पकड़ेंगे और पनपेंगे।

देश के गरीबों को इन बुनियादी विचार का शिक्षण देना चहुन प्रावश्यक है। वेदवस्त्रलियों के खिलाफ आन्दोलन मे इनके लिए अवनर भी है।

परिशिष्ट :

गरीबों से जमीन लेने के चार कारण

[विनोदा]

हम सबसे जमीन माँगते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबसे समान जमीन माँगते हैं। जो मध्यम श्रेणी के किसान हैं, उनसे हम छठा हिस्सा माँगते हैं। जो बड़े-बड़े काश्तकार और जमींदार हैं, उनसे तो हम कहते हैं कि आप अपने लिए थोड़ा-सा रखकर बाकी सारा दान में दें और जो विलकुल गरीब हैं, उनसे तो हम प्रसादरूप में, वे जो भी दें, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे सुदामा के तन्दुल से भगवान् प्रसन्न हो गये थे, वैसे ये गरीब लोग अगर थोड़ा भी दे देते हैं तो भारतमाता प्रसन्न होती है, क्योंकि वह तो प्रेम का एक चिह्न है। जब तक देश के सब वे-जमीनों को जमीन नहीं मिलती है तबतक हम माँगते जायेगे। मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि गरीबों से दान क्यों लेते हो ? मुझे इसका जवाब देने में खुशी होती है, क्योंकि इससे ज्ञान-प्रचार हो जाता है। हम गरीबों से जमीन लेते हैं, इसके चार कारण हैं-

गरीब का गरीब के लिए ही त्याग

१ आज समाज में सबसे दुखी वे-जमीन लोग हैं। उनकी तुलना में गरीब किसान भी सुखी है। आखिर हम जब किसी को सुखी या दुखी कहते हैं, तुलना से ही कहते हैं। अगर कोई अपने से जो नीची श्रेणी में है उसकी ओर देखे, तो वह खुद को सुखी समझेगा। अपने से जो ऊपर है, उसकी ओर देखेगा तो खुद को दुखी समझेगा। इसीलिए आज समाज में जो सबसे

ज्यादा दुखी है, उसके लिए हरएक को थोड़ा-थोड़ा त्याग करना चाहिए। समुद्र सबसे नीचे की सतह पर है तो दुनिया का सारा पानी उसीकी तरफ बहता है। पहाड़ का पानी भी समुद्र की तरफ ढौड़ता है और मैदानवाला पानी भी समुद्र की तरफ ढौड़ता है। अगर उस पानी से कहे कि तू क्यों समुद्र की तरफ ढौड़ता है, वह तो निचान पर है, तो वह कहेगा कि समुद्र से तो मैं ऊचान पर हूँ। इसलिए मैं भी उसीकी तरफ ढौड़ूँगा। उसी तरह जैसे श्रीमान् का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे-जमीन के बास्ते कुछ दे, वैसे ही गरीब का भी यह कर्तव्य हो जाता है; क्योंकि जो विलकुल वे जमीन है, उनके हिसाब से वह गरीब किसान कुछ सुखी ही है। इसलिए हरएक की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह कुछ-न-कुछ करे। यही बात हम सिखाना चाहते हैं। अन्यथा जिनके पास कम जमीन है, उनका कुछ कर्तव्य हो नहीं रहा, ऐसा हो जायगा, लेकिन हरएक का कुछ कर्तव्य है। मेरे लिए पर्याप्त रोटी मेरे पास नहीं है, तो भी अगर कोई भूखा मेरे पास आ जाय तो मेरे पास जो कुछ भी है, उसमें से एक हिस्सा उसको देना मेरा कर्तव्य है। यह एक धर्म है। हम यही भावना समाज में लाना चाहते हैं।

आसक्ति का निराकरण

२. आखिर हम सिखाना चाहते हैं कि जमीन पर किसी-की मालिकी ही नहीं रहनी चाहिए। आज जैसे श्रीमान् अपने को जमीन का मालिक समझता है, वैसे गरीब भी अपनी थोड़ी-भी जमीन का अपने को मालिक समझता है। दोनों खुद को जमीन का मालिक मानते हैं। हम दोनों को इस मालिकी की भावना से मुक्त करना चाहते हैं। जैसे व्यासे को पानी पिलाना अपना कर्तव्य है, वैसे ही जो मांगता है उसे जमीन देना भी

और इन दिनों तो अक्सर हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सत्य का आचरण आप्रहपूर्वक करना चाहिए, ताकि सामनेवालों के हृदय पिघले। इसके लिए चाहे जो त्याग करने की तैयारी ही सत्याग्रह है और मैं मानता हूँ कि अगर एक भी सच्चा सत्याग्रही दुनिया में होगा तो उसका असर सारी दुनिया पर पड़ेगा और दुनिया का हृदय पिघलेगा, लेकिन उसके मन में सारी दुनिया के प्रति प्रेम होना चाहिए।

लड़ाई की जरूरत नहीं होगी

मेरा विश्वास है कि मेरी सेना ऐसी जवर्दस्त सावित होगी कि उसे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। “हुकारेणैव धनुप् ।” तीर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ धनुप की टकार सुनकर ही सामनेवाला खत्म हो जाता है, ऐसा कहा गया है। वैसे ही हमारी सेना की हुकार से ही काम हो जायगा। जब लाखों गरीब लोग दान देंगे तो विना लड़ाई लड़े काम हो जायगा। हजारीबाग जिले में हमे साढ़े चार लाख एकड जमीन मिली। लेकिन हमने कहा, “हमारा इतनी भेट से सन्तोप नहीं होता है।” इसलिए हमने वहाँ के लोगों को साठ हजार दानपत्र लाने को कहा और उन्होंने उसे मंजूर भी किया। यह हम क्या कर रहे हैं? भगवान् को जब गोवर्धन खड़ा करना था, तो उसने सबसे कहा कि अपनी-अपनी लाठी उसके नीचे लगाओ। यह एक जनशक्ति निर्माण करने की बात है। इसलिए हम सब लोगों से दान लेते हैं।



ज्यादा दुखी है, उसके लिए हरएक को थोड़ा-थोड़ा त्याग करना चाहिए। समुद्र सबसे नीचे की सतह पर है तो दुनिया का सारा पानी उसीकी तरफ बहता है। पहाड़ का पानी भी समुद्र की तरफ ढौड़ता है और मैदानवाला पानी भी समुद्र की तरफ ढौड़ता है। अगर उस पानी से कहे कि तू क्यों समुद्र को तरफ ढौड़ता है, वह तो निचान पर है, तो वह कहेगा कि समुद्र से तो मैं ऊँचान पर हूँ। इसलिए मैं भी उसीकी तरफ ढौड़ूँगा। उसी तरह जैसे श्रीमान् का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे-जमीन के बास्ते कुछ दे, वैसे ही गरीब का भी यह कर्तव्य हो जाता है; क्योंकि जो चिलकुल वे-जमीन है, उनके हिसाब से वह गरीब किसान कुछ सुखी ही है। इसलिए हरएक की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह कुछ-न-कुछ करे। यही बात हम सिखाना चाहते हैं। अन्यथा जिनके पास कम जमीन है, उनका कुछ कर्तव्य हो नहीं रहा, ऐसा हो जायगा, लेकिन हरएक का कुछ कर्तव्य है। मेरे लिए पर्याप्त रोटी मेरे पास नहीं है, तो भी अगर कोई भूखा मेरे पास आ जाय तो मेरे पास जो कुछ भी है, उसमें से एक हिस्सा उसको देना मेरा कर्तव्य है। यह एक धर्म है। हम यही भावना समाज में लाना चाहते हैं।

आसवित का निराकरण

२. आखिर हम सिखाना चाहते हैं कि जमीन पर किसी-की मालिकी ही नहीं रहनी चाहिए। आज जैसे श्रीमान् अपने को जमीन का मालिक समझता है, वैसे गरीब भी अपनी धोड़ी-सी जमीन का अपने को मालिक समझता है। दोनों खुद को जमीन का मालिक मानते हैं। हम दोनों को इन मालिकी की भावना से मुक्त करना चाहते हैं। जैसे प्यासे को पानी पिलाना अपना कर्तव्य है, वैसे ही जो मोगता है उसे जमीन देना भी

अपना कर्तव्य है, क्योंकि जमीन परमेश्वर की है। यह हम समझना चाहते हैं। आज की मालिकी की भावना श्रीमान् और गरीब दोनों में है। वैसे तो जंगल में रहनेवाले एक बाबाजी के पास दो लगोटियाँ रहती हैं। उनमें उसकी उतनी ही आसक्ति रहती है, जितनी एक श्रीमान् की आपने ढेर कपड़ों में रहती है। इसलिए हम सबको आसक्ति से छुड़ाना चाहते हैं।

नैतिक प्रभाव

३ हम श्रीमानों से जमीन माँगे तो उसके लिए हमारा उन पर असर भी होना चाहिए। लेकिन असर कैसे होगा? हमारे पास कौन सी शक्ति है? क्या हमारे पास पिस्तौल है। हमारे पास न पिस्तौल है, न पिस्तौल की ताकत पर हमारा विश्वास ही है। हमारी तो मान्यता है कि पिस्तौल से कोई काम बनता ही नहीं, बिगड़ता ही है। इसलिए हम नैतिक शक्ति निर्माण करना चाहते हैं। जब हजारों गरीब दान देंगे तो नैतिक शक्ति पैदा होगी और उसका असर श्रीमानों पर होगा। ऐसा हो भी रहा है। पहले तो श्रीमान् लोग हमें टालते थे, परन्तु अब हजारीबाग में उन लोगों ने मुझे कितनी जमीन दी? उन्होंने जमीन अब क्यों दी? इसलिए कि जब दो साल तक गरीब लोगों ने हम पर दान की वर्षा की तो आखिर शर्म भी एक चीज होती है और वेशरम के लिए शरम होना भी अच्छा है। शाखों ने कहा—‘हिया देयम्’। नैतिक शक्ति प्रकट करने का यह एक तरीका है। दिन-ब-दिन हमारा काम श्रीमान् लोग उठा लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जिन्होंने एक लाख एकड़ जमीन दी, वे राजा साहब मुझसे मिलने आये थे। मैंने उनसे कहा कि आपने दान दिया सो तो अच्छा किया, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होगा। आपको तो अपनी टोली में से औरें से भी दान दिलवाने का

काम करना चाहिए। उन्होंने सेरी बात स्वीकार की। आहिस्ता-आहिस्ता ये बड़े लोग मेरा काम उठा लेगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि गरीबों ने जो दान दिया है, उससे एक नैतिक ताकत निर्माण हो रही है।

सत्याग्रह-सेना की असली ताकत

४. मैंने कई बार कहा है कि हम अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। ऊचन्नीचवाला भेद हमें खत्म करना है और ऐसी सेना बनाना है जिसके आधार पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं। जिन्होंने दान दिया होगा या त्याग किया होगा और जिन्होंने हमारे काम के नाथ सहानुभूति बतायी होगी वे ही हमारे सैनिक बनेंगे। हमारी सेना हिसा की नहीं है। हिसा की सेना में तो जिनकी वजीस इच्छा हाती हाती है उन्हे लिया जाता है। लेकिन हमारी सेना में दाखिल होने के लिए त्याग की छाती चाहिए। आगे कभी अगर श्रीमानों के दिल न खुले तो हम एक कदम और भी आगे बढ़ेगे। आज जो कह रहे हैं उससे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा हमने अपने लिए कैद या मर्यादा नहीं रखी है। हमारा ऐसी कैद पर विश्वास नहीं है। हमारे लिए तो प्रेम की शक्ति ही ना चाहिए। मो भी वच्चे के लिए कितना त्याग करती है, वच्चे के लिए वह उत्पादन करता है। लेकिन वही जब देखती है कि वश बुरे राते पर जा रहा है और उसका उसे दुख होता है तो वह क्या करती है? वह सत्याग्रह ही तो करती है। वह उपचान करती है और खुद उसको समझती है। दूसरों को तकलीफ दिये कर्गेर खुद तकलीफ सहन करना और समझाना, नीका नाम है सत्याग्रह।

नत्याप्रत का नाम लेकर सैकोई धमकी की बात नहीं कर रहा है। नै जानता है कि सत्याग्रह का दुरुपयोग हो सकता है

और इन दिनों तो अक्सर हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सत्य का आचरण आप्रहूर्वक करना चाहिए, ताकि सामने-वालों के हृदय पिघले। इसके लिए चाहे जो त्याग करने की तैयारी ही सत्याग्रह है और मैं मानता हूँ कि अगर एक भी सच्चा सत्याग्रही दुनिया में होगा तो उसका असर सारी दुनिया पर पड़ेगा और दुनिया का हृदय पिघलेगा, लेकिन उसके मन में सारी दुनिया के प्रति प्रेम होना चाहिए।

लडाई की जरूरत नहीं होगी

मेरा विश्वास है कि मेरी सेना ऐसी जवर्दस्त सावित होगी कि उसे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। “हुकारेणैव धनुष ।” तीर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ धनुष की टकार सुनकर ही सामनेवाला खत्म हो जाता है, ऐसा कहा गया है। वैसे ही हमारी सेना की हुकार से ही काम हो जायगा। जब लाखों गरीब लोग दान देंगे तो विना लडाई लड़े काम हो जायगा। हजारीबाग जिले में हमें साढ़े चार लाख एकड़ जमीन मिली। लेकिन हमने कहा, “हमारा इतनी भेट से सन्तोप नहीं होता है।” इसलिए हमने वहाँ के लोगों को साठ हजार दानपत्र लाने को कहा और उन्होंने उसे मजूर भी किया। यह हम क्या कर रहे हैं? भगवान् को जब गोवर्धन खड़ा करना था, तो उसने सबसे कहा कि अपनी-अपनी लाठी उसके नीचे लगाओ। यह एक जनशक्ति निर्माण करने की बात है। इसलिए हम सब लोगों से दान लेते हैं।



